न्यायालय कलेक्टर एंव भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

प्र0क0 / 15 / 2016–17 / अ–82 / धरसौर्ला /

मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास)
रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन (D.R.D.O)
रक्षा मंत्रालय, P-1, बिल्डिंग, मेटकॉफ हॉउस,
दिल्ली, 110 054

.... आवेदक

विरुद्ध

हरिप्रसाद पुत्र ल्होकी जाति ब्राहम्ण बगैरह,
निवासी धरसौला

.... अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक 20.06.2017)

1– आवेदक, मुख्य निर्माण अभियंता (अनुसंधान एंव विकास), रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन, दिल्ली, द्वारा पत्र दिनांक 20.05.2016 से ग्राम धरसौला, तहसील–सबलगढ, मे भूमि अधिग्रहण करने का लेख किया भूमि का ब्योरा इस प्रकार है:–

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
178	0.05	0.05
227	0.19	0.15
233	0.38	0.21
242	0.38	0.20
243	0.38	0.30
246	0.40	0.24

20/6/17

20/6/2017

249	0.30	0.30
406	0.39	0.21
410	0.47	0.47
412	0.18	0.18
414	0.19	0.06
472	0.63	0.09
475	0.27	0.15
476	0.35	0.15
479	0.12	0.12
471	0.45	0.21
477	0.06	0.06
480	0.11	0.11
482	1.11	0.30
कुल किता 19		3.66 हे0

2— पुनः दिनांक 02.06.2016 को इस प्रस्ताव मे संशोधन करते हुये निम्नाकित भूमि अर्जित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया हे।

सर्वे कमांक	कुल रकवा (हेक्टयर मे)	अर्जन हेतु रकवा (हेक्टयर मे)
178	0.05	0.05
227	0.19	0.15
233	0.38	0.21
242	0.38	0.30
243	0.38	0.30
246	0.40	0.24
249	0.30	0.10
406	0.39	0.21
410	0.47	0.12
412	0.18	0.18
414	0.19	0.06
472	0.63	0.09

20/6/17

/6/2017

475	0.27	0.15
476	0.35	0.15
479	0.12	0.06
471	0.45	0.21
477	0.06	0.06
480	0.11	0.11
482	1.11	0.30
कुल किता 19		3.05 हे0

3— म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, के पत्र कमांक/16/570/2016/सात/शा.2ए, भोपाल, दिनांक 26.10.2016 से ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' (2013 का 30) जिसे आगे ''भू—अर्जन अधिनियम 2013'' कहा जावेगा, इसकी धारा 40 के तहत भू—अर्जन किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण तहसीलदार—सबलगढ, द्वारा कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

4— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 एंव 40 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क0 5096 दिनांक 11.11.2016 जारी की गई, उक्त अधिसूचना म0प्र0 राजपत्र भाग—01 के पृष्ठ क0 4717 दिनांक 9.12.2016 को पर प्रकाशित हुई। दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान एक्सप्रेस'' तथा ''अजय भारत'' मे दिनांक 12.11.2016 को प्रकाशित हुई। कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर एंव ग्राम पंचायत धरसौला एंव ग्राम धरसौला की चौपाल पर दिनांक 12.11.2016 को चस्पा की गई। नियत समय सीमा की अंतिम तिथि तक कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के उपरान्त धारा 19 की कार्यवाही की गई।

5— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 को शामिल करते हुये धारा 19(1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एंव भू—अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र कमांक 6355 दिनांक 23.12.2016 को जारी की गई, जो कि म0प्र0 राजपत्र मे भाग—1, दिनांक 13.01.2017 के पृष्ठ क0 114—115 पर प्रकाशित हुई, तथा समाचार पत्र दैनिक आचरण मे दिनांक 6.1. 2017 को तथा दैनिक हिन्दु दिनांक 05.01.2015 प्रकाशित हुई। जो कि ग्राम पंचायत धरसौला के सूचना पटल, तहसील कार्यालय के सूचना पटल, कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल एंव ग्राम चौपाल धरसौला पर दिनांक 26.12.2016 को चस्पा की गई।

6— भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांके 17.04.2017 को जारी किये गये, जो कलेक्टर मुरैना के वेबपोर्टल पर दिनांक 18.04.2017 को अपलोड किया गया। ग्राम पंचायत धरसौला, तहसील कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर 18.4.2017 को चस्पा की गई। भू—अर्जन

अधिनियम 2013 की धारा 21 (2) के तहत भू–स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 17.04.2017 को जारी किये गये। तामील उपरान्त निम्नानुसार आपत्तियां प्राप्त हुई:–

(अ) रामदीन पुत्र लख्खू धाकड, महाराज सिंह, बीरबल पुत्र महीपत, लीलादेवा पत्नी रामदीन, संपति पत्नी महाराज सिंह, सनेही पत्नी बीरबल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि भूमि के दोनो साइड मे बाउन्ड्री एंव चार बबूल के पेड लगे हे। उसकी भूमि का बाजरु मूल्य 50.00 लाख हे। जिसका चार गुना से आठ गुना मुआवजा दिया जावे। जांच पश्चात पाया गया कि बाउन्ड्री एंव पेड नहीं पाये गये, शिकायत निराधार होने से निरस्त हुई। नियमानुसार भूमि की दर नियत कर अवार्ड मे शामिल की गई।

(आ) हेमराज पुत्र गजुआ द्वारा आपत्ति पेश कीगई कि उसकी भूमि पर एक वोर, एक छोंकर का पेड, चार बबूल के पेड हे। वोर व पेड जांच पश्चात अर्जित की जाने वाली भूमि मे न होने से आपत्ति निरस्त की गई।

(इ) रामदीन पुत्र लख्खू धाकड, बगैरह द्वारा सर्वे कमांक 227 मे 10 बबूल, सर्वे क0 412 मे एक नीम दो बबूल, सर्वे क0 242 मे एक साइड बाउन्ड्री, वोर, एंव तीन नीम के पेड, दो बबूल के पेड बताये गये। जांच पश्चात सर्वे कमांक 227 मे तीन बबूल के पेड, सर्वे क0 412 मे एक बबूल का पेड, सर्वे क0 242 मे अर्जित किये जा रहे हिस्सा पर वोर नहीं पाया गया। पेड का मूल्यांकन कराकर अवार्ड मे राशि शामिल की गई। सर्वे क0 243 मे अर्जित किये जाने वाले रकवे मे बाउन्ड्री नहीं पाई गई, शिकायत अमान्य की गई।

(ई) अनेगा बेवा मूला, रतीराम, रामस्वरुप, दशरथ, माखन, नबाव, रधुबीर पुत्रगण मूला सुशीला, कमला पुत्रीया मूला द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अर्जित की जाने वाली भूमि मे एक बबूल एक छोंकर का पेड है। जांच मे पाया गया कि उक्त पेड अर्जित की जाने वाली भूमि मे न होकर शासकीय रास्ते की भूमि मे है। आपत्ति अमान्य की गई।

(ए) दुर्गसिंह, काशीराम, हलुके पुत्रगण अंगद, गीता बेवा कंचन द्वारा आपत्ति की गई कि उसकी भूमि पर एक बबूल का पेड है। जांच पश्चात बबूल का पेड नहीं पाया गया। अतः आपत्ति अमान्य की गई।

(ऐ) हेमराज पुत्र गजुआ धाकड द्वारा सर्वे क0 471, 477, 480, मे अर्जित की जाने वाली भूमि पर बाजार दर से चार से आठ गुना राशि चाही गई हे। भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अधिनिर्णय पारित कर मुआवजा राशि का निर्णय किया जावेगा। इसी प्रकार की शिकायत मांगी, रामदयाल, मुन्ना, महेश पुत्रगण मदनू, लीला, रीना पुत्रीयां मदनू, गिर्राज पुत्र हरिप्रसाद शर्मा, उर्मिला बेवा शिवचरण आदि ने की हे। भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत अधिनिर्णय पारित कर नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जावेगी।

7– भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिये जिला पंजीयक से धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 9.12.2016 के पूर्व के तीन बर्षो मे विकय पत्रों तथा बर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की जानकारी ली गई। तद्नुसार बाजार मूल्य का अवधारण किया गया,। सिंचित भूमि की दर 13,50,000–रु0 तथा असिंचित भूमि की दर 12,00,000–रु0 प्रति हेक्टयर निर्धारित की गई

भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम धरसौला की भूमि अर्जित की जाकर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:–

(एक) अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन:–

(अ)	सिंचित भूमि 3.05 हे0 की रु0 13,50,000.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 41,17,500.00
(ब)	असिंचित भूमि (निरंक) हे0 की रु0 12,00,000.00 प्रति हेक्टयर की दर से मूल्यांकन राशि	रु0 –
	भूमि की कुल राशि–	रु0 41,17,500.00

(दो) परिसम्पत्ति:–

(स) कुआं / बोर / ट्यूबवेल	रु0	निरंक
(द) निर्माण भवन	रु0	15,80,809.00
(इ) वृक्ष आदि	रु0	4218.00
योग	रु0	15,85,027.00
भूमि एंव वृक्ष व परिसम्पतियों की कुल राशि	रु0	57,02,527.00

शासन के परिपत्र दिनांक 06 सितम्बर 2014 अनुसार गुणांक 01

भूमि एंव परिसम्पतियों की कुल राशि–

(तीन) भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के तहत संगणित राशि, धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 11.11.2016 से अवार्ड दिनांक 20.06.2017 तक 07 माह 10 दिवस के लिये

संगणित राशि– रु0 4,17,925.00

(चार) भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30 (1) के अनुसार तोषण राशि रु0 57,01,718.00

कुल राशि–	रु0	1,18,22,979.00
प्रशासनिक शुल्क 05%	रु0	5,91,149.00
कुल अवार्ड राशि–	रु0	1,24,14,128.00

(कुल अवार्ड राशि अक्षरी एक करोड चौबीस लाख चौदह हजार एक सौ अठ्ठाईस रु0 मात्र)

नोट– व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि प्रथक से परिशिष्ट A एंव B संलग्न हे जो अधिनिर्णय का हिस्सा होगा।

भू अर्जन अधिकारी
जिला मुरैना म0प्र0
अनुविभाग सिहोनिया

कलेक्टर
जिला मुरैना म0प्र0